न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 17 सन 2023

अनवान :–

1. मनफूल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़
2. बजरंगसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़
3. राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़
4. कृष्ण लाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़
5. देवीलाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़
6. श्रीराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

2. विमला देवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/03/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 99/1 की कुल 7.3250 हैक्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 2/1 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 6. 7670 है० भूमि सायल संख्या 2 ता 3 व तरतीवी गैरसायल संख्या 2 तीनों के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 17/1 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 04930 है० भूमि सायल संख्या 4 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 52/1 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 6. 7670 है० भूमि सायल संख्या 5 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 179/1 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 3.4790 है० भूमि सायल संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गांव ललानियां से चलकर गांव रातुसर जाने वाला रास्ता सायलान व तरतीवी गैरसायला संख्या 2 की भूमि खसरा नं. 444/200, 440/200, 442/200, 438/200 के पूर्व दिशा में व खसरा नं. 436/200 के पूर्व व दक्षिण दिशा से होकर निकलता है। सायलान व तरतीवी गैरसायला संख्या 2 के पड़ोसी काश्तकारों ने रास्ता की भूमि पर अवैध रूप अतिक्रमण कर रास्ता को संकरा कर दिया है जिस कारण से से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है तथा सायलान व तरतीवी गैरसायला संख्या 2 की भूमि में प्रवेश कर रहे है। सायलान व तरतीवी गैरसायलान अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी कायम) करवाना चाहते है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को [illegible] कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा [illegible] करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे फिर अंत में इन्कार हो गये [illegible] यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 99/1 की कुल 7.3250 हैक्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 2/1 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 6. 7670 है० भूमि सायल संख्या 2 ता 3 व तरतीवी गैरसायल संख्या 2 तीनों के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 17/1 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 04930 है० भूमि सायल संख्या 4 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 52/1 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 6.7670 है० भूमि सायल संख्या 5 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 179/1 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 3.4790 है० भूमि सायल संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि की सीमाज्ञान नही करवाया गया है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested